

प्रेषक,

गविलेश चन्द्र गुप्त,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन ।

लेखा मे.

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
शिक्षा केन्द्र -२ समुदाय केन्द्र,
प्रोत्तिविहार,
नईदिल्ली ।

शिक्षा १७। अनुभाग

लखनऊ: दिनांक: १५ फरवरी, २००।

विषय:- डी०पी०स० बहुधरा तेक्टर-९ जनपद गाजियाबाद को सी०बी०स०इ० नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मझे यह कठने का निदेश हुआ है कि डी०पी०स० बहुधरा तेक्टर-९ जनपद गाजियाबाद को सी०बी०स०इ० नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने मेरे इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिश्वेषों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

- 111 विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-तमय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 121 विद्यालय की प्रक्रिय तमिति मेरी शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 131 विद्यालय मेरे कम तेकम दस प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् से संचालित विद्यालयों मेरे विभिन्न क्षेत्रों के लिए निर्धारित शुल्क ते अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार द्वारा किसी अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व मेरी विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद् से अथवा शैक्षिक शिक्षा परिषद् ते मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् नईदिल्ली द्वारा प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगे ।
- 151 संस्था शैक्षिक एवं शिक्षणत्तर कर्मियारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मियारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगे ।
- 161 कर्मियारियों की लेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें तदायता प्राप्त ज्ञात-कीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मियारियों की अनुमन्य लेवा इन्वृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेगे ।

- 171 राज्य सरकार द्वारा सम्बन्ध पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- 181 विद्यालय का रिकार्ड नियाँरित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा ।
- 191 उक्त शतों में राज्य सरकार के पूवाँनुमोटन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन वा परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।
- 2- उक्त प्रतिक्रियों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी सम्बन्ध यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिक्रियों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की घूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

अधिकारी
अनु सचिव ।

पृ० ६०-६०/१५-७-तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ स्वीकृत आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
 2- मण्डलीय संस्कृत शिक्षा निदेशक, गाजियाबाद ।
 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, गाजियाबाद ।
 4- निरीक्षक, झाँग भारतीय विद्यालय, ३०४०, लखनऊ ।
 5- प्रबंधक, डी०पी०स०० बस्तुन्धरा टेक्टर-९, जनपद गाजियाबाद ।

आङ्गा ते,

अधिकारी
अनु सचिव ।